**न्यायालय :– अपर सेशन न्यायाधीश, दूदू, जिला–जयपुर (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी :– संदीप आनन्द, आर.जे.एस.**
**(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

जमानत आवेदन संख्या : **304 / 2022**
सीआईएस नं. **304 / 2022**

1. राहुल पुत्र मंगलचंद, उम्र 21 साल, निवासी ममाणा, थाना नरेना, जिला जयपुर राज0

––प्रार्थी / अभियुक्त

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक दूदू, जिला जयपुर

–––अप्रार्थी

**जमानत आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.**
**एफ.आई.आर. नम्बर 155 / 2022, थाना मौजमाबाद**
**अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं.**

**उपस्थिति :–**
1. श्री लोकेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से
2. श्री त्रिलोकेश सिंह, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से

**आदेश**

**दिनांकः 27 जून, 2022**

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी / अभियुक्त राहुल की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई, जिन्होंने केस डायरी प्रस्तुत की।

2. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी गोविन्द ने दिनांक 02.05.2022 को एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना मौजमाबाद में इस आशय की प्रस्तुत की कि वह दिनांक 30.04.2022 को ग्राम मौखमपुरा में दुर्गालाल जी की दुकान के सामने अपनी मोटरसाइकिल खडी कर जरूरत का सामान खरीदने दुकान पर चला गया जब सामान लेकर वापस आया तो उसे मोटरसाइकिल नहीं मिली। यह घटना

करीबन शाम 09:30 बजे की है। उसने मोटरसाइकिल को बहुत तलाश लेकिन वह नहीं मिली। मोटरसाइकिल के नं. आरजे14–जेजी–1108 है.....आदि।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर मुकामी पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 155/2022 अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया एवं दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त राहुल को दिनांक 21.06.2022 को गिरफ्तार कर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित किये जाने के पश्चात उसके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 437 दं.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया जिस प्रार्थना पत्र को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू द्वारा अपने आदेश दिनांकित 22.06.2022 द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया, तत्पश्चात यह हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी से कोई अनुसंधान व बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी मजदूरी पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी अपनी उपस्थिति बाबत जमानत–मुचलके पेश करने का तत्पर है। अतः प्रार्थी को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

5ण इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

6. हमने प्रार्थी/मुल्जिम के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी में संलग्न आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में एक प्रकरण 1. मु.सं. 127/22 धारा 379 भा.दं.सं. थाना नरेना दर्ज है। मुकामी पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाया गया है। यह अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.06.2022 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। अनुसंधान/विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त राहुल पुत्र मंगलचंद, उम्र 21 साल, निवासी ममाणा, थाना नरेना, जिला जयपुर राज0 के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपनी नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टिप्रद प्रस्तुत कर प्रमाणित करवा दे तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 155/2022 पुलिस थाना मौजमाबाद, जिला जयपुर के प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश,
दूदू, जिला जयपुर

8. आदेश आज दिनांक **27 जून, 2022** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश,
दूदू, जिला जयपुर